

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 सेवाये, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/11/ 88

दिनांक :- 20.11.11

:- आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)/वित्त/नियम/2008/पार्ट I दिनांक 12.09.2008 एवं 06.10.08 तथा एफ.14(88)एफडी (रूल्स)/2008-11 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: प.5 (1) चि.स्वा./2/11 दिनांक 01.06.11 के द्वारा निम्नलिखित कनिष्ठ विशेषज्ञों की 20 व 30 वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से वेतन श्रृंखला 15600-39100 मे ग्रेड पे-6800/- व 8200/- रुपये स्वीकृत करने की अनुमति अनुसार एस्योर्ड केरियर प्रोगेशन स्वीकृत की जाती है :-

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम	वर्तमान पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्म तिथी	नियमित नियुक्ति दिनांक	20 व 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक	20 व 30 वर्ष पूर्ण होने पर एसीपी स्वीकृती दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ. इन्द्र कुमार चुद्य	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, श्रीगंगानगर	11-05-56	06-08-84	06-08-04	01-09-06
2	डॉ. ओम प्रकाश गर्ग	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सवाई माधोपुर	20-07-56	03-09-86	03-09-06	03-09-06
3	डॉ. देवेन्द्र प्रसाद स्वर्णकार	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, टोंक	28-08-57	10-06-87	10-06-07	10-06-07
4	डॉ. हजारी मल चौधरी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बॉगड चिकित्सालय, पाली	04-06-63	01-09-90	01-09-10	01-09-10
5	डॉ. कैलाश परिहार	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बॉगड चिकित्सालय, पाली	25-05-65	04-09-90	04-09-10	04-09-10
6	डॉ. चैतन्य रावत	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बी.डी.एम. हो. कोटपूतली	30-09-63	21-11-90	21-11-10	21-11-10
7	डॉ. तारा खन्ना	कनिष्ठ विशेषज्ञ	अधीक्षक, राजकीय महिला चिकित्सालय, अजमेर	27-08-60	21-07-87	21-07-07	21-07-07
8	डॉ. भानीराम पालीवाल	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर	02-08-57	28-05-87	28-05-07	28-05-07
9	डॉ. देवी सिंह	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर	04-03-55	27-01-83	27-01-03	01-09-06
10	डॉ. केशव देव शर्मा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर	15-09-53	18-04-81	18-04-01	01-09-06
11	डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, भरतपुर	18-07-57	10-03-84	10-03-04	01-09-06

1	2	3	4	5	6	7	8
12	डॉ. अशोक कुमार वर्मा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर	15-03-53	04-09-82	04-09-02	01-09-06
13	डॉ. विश्वास गुप्ता	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सेटलाईट बनीपार्क, जयपुर	07-01-61	28-11-90	28-11-10	28-11-10
14	डॉ. सुरेश चन्द्र मिश्रा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,, कॉवटिया होस्पिटल जयपुर	05-08-63	21-11-90	21-11-10	21-11-10
15	डॉ. धर्मचन्द जैन	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,, सोजतसिटी, पाली	14-08-53	02-10-81	02-10-01	01-09-06
16	डॉ. अनिल चौधरी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, झुन्झुनु	05-08-56	03-09-86	03-09-06	03-09-06
17	डॉ. शंकर लाल	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, झुन्झुनु	08-04-52	01-02-81	01-02-01	06-10-06
18	डॉ. मनीराम	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, झुन्झुनु	08-10-53	03-09-86	03-09-06	03-09-06
19	डॉ. सरजू देवी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुन्झुनु	05-07-54	03-09-86	03-09-06	03-09-06
20	डॉ. कै. के. मगल	कनिष्ठ विशेषज्ञ	अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	02-08-57	19-05-86	19-05-06	01-09-06
21	डॉ. राजकुमार सराफ	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, रतनगढ	03-07-55	02-08-84	02-08-04	01-09-06
22	डॉ. तुलसी दास हर्ष	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ, चुरु	05-11-49	01-07-82	01-07-02	08-09-06
23	डॉ. उदय करण आढा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, टौक	07-08-51	28-09-79 30 Years	28-09-99 28-09-09	28-09-06 28-09-09
24	डॉ. रमेश चन्द्र गुप्ता	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर	01-09-50	13-01-81	13-01-01	01-09-06
25	डॉ. अशोक कुमार	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नसीराबाद, अजमेर	01-07-56	03-09-86	03-09-06	03-09-06

- 1 कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.01 के क्रम में दिनांक 01.06.02 को एवं इसके पश्चात् अधिकारी की तीसरी सन्तान नहीं होने की अधिकारी द्वारा घोषणा।
- 2 एसीपी की देय तिथि से ठीक 20 वर्ष पूर्व नियमित रूप से अधिकारी को वेतन वृद्धिया मिलने एवं उक्त अवधि की सेवायें सन्तोषप्रद होने बाबत अधिकारी द्वारा घोषणा।
- 3 संबंधित चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय/फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं होने की तथा पूर्व में कोई दण्ड नहीं मिलने की अधिकारी की घोषणा।
- 4 उक्त कॉलम संख्या 06 में अंकित नियुक्ति तिथि नियमित रूप से होने की अधिकारी की घोषणा भी प्राप्त की जाना।

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

- 5 जिन चिकित्सकों द्वारा पदोन्नती फोरगो की गई है उन्हें नियमानुसार 02 वर्ष पश्चात् की एसीपी का लाभ इस शर्त पर दिया जायेगा कि उनकी पुनः पदोन्नती होने पर उनके द्वारा फोरगो नहीं किया गया हो।
- 6 संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड/सेवा रिकार्ड से घोषणा पत्र के तथ्यों तथा सेवा रिकार्ड के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण तिथि की पुष्टी की जावेगी तथा उक्त घोषणा पत्र व इसकी पुष्टी का इन्द्राज संबंधित चिकित्सा अधिकारी की सेवा पुस्तिका में किया जाकर तदनुसार वेतन निर्धारण किया जावेगा विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अधिकारी की एसीपी स्वीकृति तिथि को 20 वर्ष निरन्तर व सन्तोषप्रद राजकीय सेवा की पुष्टी की जावेगी।

उपरोक्त चिकित्सकों के इस सम्पूर्ण अवधि के एसीआर (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषप्रद सेवा का प्रमाण के आधार पर उक्त एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि में एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर एसीपी स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त विधि से प्रकरण नियमानुसार होने पर ही इस स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कनिष्ठ विशेषज्ञों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.09.08 व 06.10.08 के नियम-20 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा एवं इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित चिकित्सकों की सेवा पुस्तिका में की जावेगी। वेतन निर्धारण से पूर्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संबंधित चिकित्सकों एसीपी स्वीकृति तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतन) नियम-2008 के वेतन श्रृंखला 15600-39100 में ग्रेड-पे 6600 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

दिनांक :- 20.11.11

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/10/ ११९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर/राजकीय महिला चिकित्सालय, अजमेर।
- 3 सम्बंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
- 4 सम्बंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 5 सम्बंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 6 आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
- 7 समस्त डिलिंग सहायक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
- 8 प्रमोरी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर तुरन्त अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
- 9 आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।